राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(3)मं.मं. / 2024—01493 पार्ट   जयपुर, दिनांक

<u>आदेश</u>

मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण व समीक्षा हेतु निम्नांकित मंत्रिगण की मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता हैः—

1.	श्री सुरेश सिंह रावत, मा0 मंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
2.	श्री संजय शर्मा, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन विभाग	सदस्य
3.	श्री गोतम कुमार, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग	सदस्य
4.	श्री झाबर सिंह खर्रा, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नगरीय विकास विभाग	संयोजक

उक्त समिति को निम्न अधिकारिता भी होगीः—

1. ज़िला कलक्टरों व जन—प्रतिनिधियों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो पुनर्गठन / नवसृजन हेतु निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या या दूरी आदि की अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते, परन्तु आमजन की सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुनर्गठन / नवसृजन किया जाना उचित प्रतीत हो, तो ऐसे प्रस्तावों के संबंध में शिथिलन प्रदान करने के संबंध में सिफारिश कर सकेगी।

2. जिलों से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मानदण्डों की दृष्टि से पूर्ण हो किन्तु व्यापक जनहित व प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे प्रस्तावों का औचित्य व सार्थकता प्रतीत नहीं होने पर उन्हें अस्वीकृत कर सकेगी।

मंत्रिमण्डलीय उप समिति नगरीय निकायों के पुनर्गठन / नवसृजन संबंधी समीक्षित एवं अनुशंषित प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग होगा तथा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन इसके सदस्य सचिव होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ठ सहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव ।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.01.16 14:52:54 IST
Reason: Approved